प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक : 86 /30–जी॰सी॰/2024 दिनाँक : 04 फरवरी, 2024

विषय : मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 429/2022 रिद्धिमा पाण्डे बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवम् अन्य में मा॰ अधिकरण द्वारा दिनाँक 16–10–2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मूल आवेदन संख्या 429/2022 रिद्धिमा पाण्डे बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवम् अन्य में मा॰ अधिकरण द्वारा दिनाँक 16–10–2023 को पारित किये गये आदेश में उल्लिखित है कि :–

"Respondent no. 1- State of Uttarakhand and 3-District Magistrates, Champawat and Nainital are directed to file additional replies giving requisite details regarding all relevant aspects of permits issued, dredging activities carried out in execution thereof, amounts deposited by respondents no. 4 and 6, refunds If any made, remedial measures taken, action by the State of Uttarakhand in compliance of the orders passed by the Hon'ble Court of Uttarakhand, regarding modification of river dredging policy and revocation of permits issued and SOP issued for carrying out of dredging by Governmental agencies within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF"

उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 06(05)/30–जी॰सी॰/2023–24, दिनाँक 01–02–2024 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी, भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवम् खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग,

हल्द्वानी (प्रतिनिधि) एवम् उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी की संयुक्त समिति गठित करते हुए अनुपालन आख्या से अवगत कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये, जिसके क्रम में संयुक्त अनुपालन आख्या 1295/भू०खनि०वि०/अवैध खनन–एन०जी०टी०/2023–24, दिनाँक 02–02–2024 उपलब्ध करायी गयी है।

निर्देशों के अनुपालन में विस्तृत आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीया,

(वन्दना)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांकः 1295 /भू0खनि0वि0/अवैध खनन–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांकः 02 फरवरी, 2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 429/2022 रिद्धिमा पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 16.10.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक सं0 06 (5)/30 जी0सी0/2023–24 दिनांक दिनांक 01 फरवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में वांछित संयुक्त निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर महोदया के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय

02-02-2024
(ताजबर सिंह नेगी)
खान अधिकारी

संयुक्त निरीक्षण आख्या

विषयः– माо राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal), नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 429/2022 रिद्धिमा पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 06(5)/30–जी0सी0/2023–24 दिनांक 01 फरवरी 2024 जिसमे उल्लेखित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या – 429/2022 रिद्धिमा पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 16.1.02023 को पारित आदेश के पैरा संख्या 12 मे निम्नानुसार निर्देश दिये गये है। Respondent no. 1- State of Uttarakhand and 3-District Magistrates, Champawat and Nainital are directed to file additional replies giving requisite details regarding all relevant aspects of permits issued, dredging activities carried out in execution thereof, amounts deposited by respondents no. 4 and 6, refunds if any made, remedial measures taken, action taken by the State of Uttarakhand in compliance of the orders passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand, regarding modification of river dredging policy and revocation of permits issued and SOP issued for carrying out of dredging by Governmental agencies within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF जिसके क्रम में महोदय द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal), नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 429/2022 रिद्धिमा पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में सूचना निम्नवत् है :–

1. मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 47/पी0आई0एल/2022 दिनेश कुमार चन्दोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को पारित आदेश **13. Aforesaid being the position, we cannot permit the respondents to act in terms of their order dated 07.01.2022. The State departments, namely the Forest Conservation Department, and the Agriculture Department, of which the Soil Conservation Division is now a part, should have an active role to play in the carrying out of the activity of dredging in the river in question on its own, without the involvement of a private agency. The activity of mining, i.e. the winning of the dredged mineral, in any case, cannot be permitted. We, therefore, permit the State to undertake the activity of dredging entirely on its own, without the involvement of private agencies, and with the involvement of the State departments aforementioned. 14. The Writ Petition stands disposed of in the aforesaid terms. 15. Consequently, pending applications, if any, also stand disposed of" के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 169564, दिनांक 17 नवम्बर, 2023 के द्वारा प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को नन्धौर वाईल्ड लाईफ सैन्चुरी में प्रवाहित नन्धौर नदी में ड्रेजिंग/खनन कार्य मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अपने स्तर से किये जाने के निर्देश दिये गये।

   इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 14.02.2023 को ही रिट याचिका संख्या –48/PIL/2022, गुरूदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य को निम्न प्रकार निस्तारित किया गया–

   In the light of our order passed in writ petition(PIL) no. 47 of 2022 dated 14-02-2022 the present writ petition also stands disposed off in the aforesaid terms

2. शासन के पत्र संख्या 2370/VII-1/2022/5(120)/21 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के प्रावधानानुसार ड्रेजिंग कार्य हेतु जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चोरगलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में जमा मलवा/आर0बी0एम0 की निकासी एन0एच0–87 के निर्माण कार्य हेतु ए0पी0एस0 इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा0लि0, डी–138, सेक्टर–51, नोएडा, उत्तराखण्ड (वर्तमान पता–मोटा हल्दू रिलाइन्स पम्प के सामने, हल्द्वानी, नैनीताल) के पक्ष में 06 माह की अल्पवधि की अनुज्ञा स्वीकृति की अनुमति जिलाधिकारी नैनीताल को प्रदान की गयी। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत ड्रेजिंग कार्य हेतु अल्पावधि की अनुज्ञा स्वीकृत की गयी।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या 1863/30–जी0सी0/2021–22, दिनांक 24 जनवरी, 2022 एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद नैनीताल के पत्र संख्या 1375/भू0खनि0ई0/खनन

अनुज्ञा/2021–22, दिनांक 28.01.2022 के क्रम में उक्त अनुज्ञा क्षेत्र हेतु सीमांकन दिनांक 29.01.2022 समय 12.00 बजे की तिथि निर्धारित की गयी तथा समिति के सदस्यों को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया।

4. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 1461/9–2(1), दिनांक 28.01.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एच0–87 के निर्माण कार्य हेतु मै0 ए0पी0एस0 इन्फा इन्जीनियर्स प्रा0लि0 के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है तो यह कार्य उक्त परिधि में नहीं आता है। प्रश्नगत क्षेत्र नन्धौर वन्यजीव अभ्यारण के इको सैसिटिव जोन का भाग है जो भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2020 से नोटिफाईड है। सीमांकन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 29.01.2022 में इस वन प्रभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग करना संभव नहीं है।

5. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 1461/9–2(1), दिनांक 28.01.2022 के क्रम में जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चोरगलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में जमा मलवा/आर0बी0एम0 की निकासी एन0एच0–87 के निर्मण कार्य हेतु ए0पी0एस0 इन्फा इन्जीनियर्स प्रा0लि0, डी–138, सेक्टर–51, नोएडा, उत्तराखण्ड (वर्तमान पता–मोटा हल्दू रिलाइन्स पम्प के सामने, हल्द्वानी, नैनीताल) के पक्ष में 06 माह की अल्पवधि की स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र का सीमांकन न होने के कारण उक्त क्षेत्र में अद्यतन तक आंशिक अथवा पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का रिवर ड्रेजिंग कार्य नहीं किया गया है तथा उक्त स्वीकृत रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा के सापेक्ष अनुज्ञाधारक के द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी।

6. यह भी अवगत कराना है कि वन विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है एवं उक्त क्षेत्र मे वन प्रभाग द्वारा किसी भी प्रकार का खनन कार्य नही करवाया जा रहा है।

7. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2023 के प्रस्तर 11 व 12 के क्रम में अवगत कराना है कि वन प्रभाग द्वारा विषयगत क्षेत्रान्तर्गत कोई भी अनुज्ञा/परमिट खनन हेतु निर्गत नहीं किया गया है। ड्रेजिंग सम्बन्धित कोई भी क्रियाकलाप वन प्रभाग द्वारा नहीं करवाये गये हैं।

8. यह कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–127/PIL /2023, भुवन चन्द्र पोखरिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2023 एवं मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 09.08.2023 के क्रम में दिनांक 10.08.2023 को उप प्रभागीय वनअधिकारी, गौला, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हल्द्वानी, खान अधिकारी, नैनीताल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड प्रथम हल्द्वानी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, नंधौर, हल्द्वानी, वन प्रभाग हल्द्वानी एवं उपजिलाधिकारी हल्द्वानी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुए नंधौर एवं गौला नदी में किये गये विभिन्न कार्यो के विवरण सम्बन्धित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। जो पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदया के अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(प्रतिनिधि) क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद नैनीताल	for प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी	उपजिलाधिकारी हल्द्वानी

River bank Protection work proposed/done in Nandhor River				
S.N	Financial year	Name of work	Amount (in lakh)	Dept.
01	2022-23	Removing debris, boulders and river channelization	9.95	Irrigation division Haldwani.
02	2022-23	Wire Crate	5.00	Irrigation division Haldwani.
03	2022-23	Wire Crate and river channelization	148.54	
04	2022-23	River channelization	8.00	Irrigation division Haldwani.
05	2022-23	Wire crate	5.00	Irrigation division Haldwani.
06	2022-23	Wire crate (flood protection work)	9.97	Irrigation division Haldwani.
07	2022-23	Wire crate (flood protection work)	9.79	Irrigation division Haldwani.
08	2023-24	Wire crate (flood protection work)	992.38	Irrigation division Haldwani.

16

Annexure NO C-4 (43)

संख्या: 2370 / VII-A-1/2022/5(120)/21

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 07 जनवरी, 2022

विषयः उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु सं० 10(2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–3932/खनन/भू०खनि०ई०/रे०वि०नि०–रि०ड्रे०/2021–22, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 72 में निहित प्रावधान का समस्त अधिनियमों, विधियों आदि पर अध्यारोही प्रभाव होने के फलस्वरूप शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के उपबन्ध अन्य किसी विधि या अधिनियम से असंगत होते हुए भी प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु सं० 10(2) के प्रावधानानुसार ड्रेजिंग कार्य हेतु नदी के समुचित चैनलाईजेशन, नदी के बहाव को सुव्यवस्थित करने तथा आस–पास के गाँव/क्षेत्रों में बाढ़ व जनहानि से बचाव आदि के दृष्टिगत जनपद नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चोरगलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में जमा मलवा/आर०बी०एम० की निकासी एन०एच० 87 के निर्माण कार्य हेतु ए०पी०एस० इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा०लि० के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने तथा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु सं० 11 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–68 के अन्तर्गत नियम 54 को शिथिल करते हुए इस कार्य हेतु जमा आर०बी०एम० की मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि व अन्य देय धनराशि को 06 समान किश्तों में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2– उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञा के क्रम में ए०पी०एस० इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा०लि० द्वारा निकासी किये जाने वाले मलवा, आर०बी०एम० की आपूर्ति एन०एच० निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्रेशर को करते हुए तैयार माल का उपयोग संबंधित इकाई द्वारा एन०एच० 87 के निर्माण कार्य हेतु किया जायेगा। ए०पी०एस० इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा०लि० के पक्ष में एन०एच० 87 के निर्माण कार्य हेतु दी जा रही अनुज्ञा अनुमति मात्र एन०एच० परियोजना कार्य हेतु ही प्रदत्त की जा रही है, संबंधित कार्यदायी इकाई द्वारा किसी भी दशा में इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

–2

NOTARY Y. K. UBIAL Notary, Haldwani Distt.- Nainital (UK) Reg. No 76 (10)2010 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) S.L.N. 70 21.3.23

NOTARY Birendra Singh Advocate Reg. No. 55(01)2022 Doiwala, Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

संख्याः 2370 (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।
प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
3. ए०पी०एस० इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा०लि०, डी–138, सेक्टर–51, नोयडा (वर्तमान पता–मोटाहल्दू, रिलाइन्स पम्प के सामने, हल्द्वानी, नैनीताल)।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

NOTARY
Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. - Nainital (UK)
Reg. No 25(10)2010
S.L.N. 70
27.3.23
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

NOTARY
Birendra Singh
Advocate
Reg.No.58(01)2022
Doiwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No.58(01)2022
Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)
14.11.2022

Certified that Sri/Smt. Dhiraj Singh Garbyal
the Deponent Identified by Self
Sworned & Verified the in Content of
this Affidavit At Haldwani
on Dt. 27.3.23 at 5:00 P.M

(Yogesh Kumar Deval) 27.3.23
Notary. Haldwani
Distt. Nainital (UK)

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या :1863 /30-जी.सी./2021-22 दिनॉक :24 जनवरी, 2022

विषय : उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

1564
28/2/22

अपर निदेशक खनन,
भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
जनपद नैनीताल। -हल्द्वानी

कृपया उपरोक्त विषयक आद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या, 2370/VII-A-1/2022/5(120)/21 दिनॉक 07 जनवरी, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया हे कि आपदा प्रवंधन अधिनियम 2005 की धारा 72 में निहित प्रावधान का समस्त अधिनियमों, विधियों आदि पर अध्यारोही प्रभाव होने के फलस्वरुप शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के उपबन्ध अन्य किसी विधि या अधिनियम से असंगत होते हुए भी प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के प्रावधानानुसार ड्रेजिंग कार्य हेतु नदी के समुचित चैनलाईजेशन, नदी के बहाव को सुव्यवस्थित करने तथा आस-पास के गाँव/क्षेत्रों में बाढ़ व जनहानि से बचाव आदि के दृष्टिगत जनपद नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चोरगलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में जमा मलवा/आर.बी.एम. की निकासी एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीयिर्स प्रा.लि. के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने तथा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 11 एवम् उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-68 के अन्तर्गत नियम 54 को शिथिल करते हुए इस कार्य हेतु जमा आर.बी.एम. की मात्रा पर देय रॉयल्टी की धनराशि व अन्य देय धनराशि को 06 समान किश्तों में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञा के क्रम में ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. द्वारा निकासी किये जाने वाले मलवा, आर.बी.एम. की आपूर्ति एन.एच. निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्रेशर को करते हुए तैयार माल का उपयोग संबंधित इकाई द्वारा एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु किया जायेगा। ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. के पक्ष में एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु दी जा रही अनुज्ञा अनुमति मात्र एन.एच. परियोजना कार्य हेतु प्रदत्त की जा रही है, संबंधित कार्यदायी इकाई द्वारा किसी भी दशा में इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीमांकन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः शासन के उक्त उल्लिखित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।

(अशोक जोशी)
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
नैनीताल

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल :dfohld@gmail.com

पत्रांक 1461 /9-2(1) हल्द्वानी, दिनांक 28/01/2022

1504
1/2/22

सेवा में,

अपर निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
जनपद नैनीताल

विषयः— उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के सहकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक—1375/भू० खनि०इ०/खनन अनुज्ञा/2021—22 दिनांक—28.01.2022।

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र में यह उल्लेख है कि जिलाधिकारी नैनीताल के कार्यालय पत्रांक—1863/30—जी० सी०/2021—22 दिनांक— 24 जनवरी 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—2370/VII-I-1/2022/5(120)/21 दिनांक—07 जनवरी 2022 के माध्यम से उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग कार्य हेतु नदी के समुचित चैनलाईजेशन, नदी के बहाव व सुव्यवस्थित करने तथा आस—पास के गांव/क्षेत्रों में बाढ़ व जनहानि से बचाव आदि के दृष्टिगत जनपद नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर नदी में जमा मलवा/बार०बी०एम० की निकासी एन०एच० 87 के निर्माण कार्य हेतु मै० ए०पी०एस० इन्फा इन्जीनियर्स प्रा०लि० के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने तथा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 11 एवम् उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम—68 के अन्तर्गत नियम 54 को शिथिल करते हुए इस कार्य हेतु जमा आर०बी०एम० की मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि व अन्य देय धनराशि को 06 समान किश्तों में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा उक्त हेतु प्रदत्त अनुज्ञा के क्रम में आप द्वारा सीमांकन हेतु दिनांक—29.01.2022 समय 12:00 बजे की तिथि निर्धारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी नैनीताल का पत्र दिनांक—24.01.2022 अभी तक ना तो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है एवं ना ही आप द्वारा अपने संदर्भित पत्र के साथ संलग्न किया गया है। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग—1 दिनांक—13 जनवरी 2022 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि राज्य में स्थित नदी/जलाशय/नहरों में अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/शिल्ट, जिससे भू कटाव, बाढ़ एवं जान माल का खतरा उत्पन्न होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं, से नदी के समुचित चैनलाईजेशन, नदी के बहाव को सुव्यवस्थित करने तथा आस—पास के समीपवर्ती गांव/क्षेत्रों में बाढ़ व जन हानि से बचाव आदि की दशा में ड्रेजिंग कार्य के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 द्वारा जिलाधिकारियों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा मलवा/आर.बी.एम./शिल्ट को निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा सम्बधित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

जैसा आप द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि एन०एच०—87 के निर्माण कार्य हेतु मै० ए०पी०एस० इन्फा इन्जीनियर्स प्रा०लि० के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है तो यह कार्य उक्त परिधि में नहीं आता है। यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र नन्धौर वन्यजीव अभ्यारण के इको सैसिटिव जोन का भाग है जो भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक—22 मई 2020 से नोटिफाईड है। अतः आप द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक—29 जनवरी 2022 में इस वन प्रभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग करना सम्भव नहीं है।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

OPF/AO

पत्रांक : संख्या/उक्त दिनांकित

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— 1 मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं, उत्तराखण्ड, नैनीताल को।
2 वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी को।
3 जिलाधिकारी नैनीताल को।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका (पी0आई0एल0) संख्या 127 वर्ष 2023, भुवन चन्द्र पोखरिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में संयुक्त निरीक्षण आख्या

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष योजित जनहित याचिका संख्या WPPIL/127/2023 भुवन चन्द्र पोखरिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल के आदेश संख्या 410 (2)/30–जी0सी0/2023 –2024 दिनांक 30.08.2023 के क्रम में उक्त प्रकरण में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा नन्धौर नदी का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जनपद में विभिन्न नदियों गौला, नन्धौर, सूखी नदी, कोसी, दाबका इत्यादि में इस अवधि में तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत नदियों/नालों से मलवा, सिल्ट, बोल्डर की सफाई एवम् चैनेलाईजेशन एवम् नदी/नालों से भूमि/बसावट का सुरक्षात्मक का कार्य विभागों यथा– सिंचाई विभाग, नगर निगम, वन विभाग, एन.एच.ए.आई., उत्तराखण्ड पेयजल विकास निगम के माध्यम से कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(i) गौला नदी में अत्यधिक बहाव के कारण काठगोदाम में स्थित शंटिंग नेक तथा हल्द्वानी में लाईन नम्बर–03 का फारमेशन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण इन फारमेशन पर ट्रेन का संचालन अवरूद्ध हो गया। इन मरम्मत कार्यों को करने के लिए रेलवे विभाग द्वारा काठगोदाम शंटिंग नेक रेलवे लाईन की मरम्मत का कार्य हल्द्वानी स्टेशन पर लाईन नं. 03 के क्षतिग्रस्त फारमेशन की मरम्मत का कार्य, नदी क्षेत्र में तटबन्ध संरक्षण, चैक डैम निर्माण कार्य एवम् स्पर निर्माण इत्यादि हेतु जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के कार्यालय आदेश 858/13–सी.आर.ए.(आ.प्र.प्राधि.)/ 2023–24, दिनाँक 12 जुलाई, 2023 के द्वारा अनुमति निर्गत की गयी है। **(आदेश एवम् कार्य के फोटोग्राफ्स संलग्न)**।

(ii) गौला नदी से लगे हुए क्षेत्र मुख्यतः रावत नगर प्रथम, चौड़ाघाट के नजदीक, इन्द्रनगर, द्वितीय गब्दा, खुरियाखत्ता देवी मन्दिर के नजदीक भू–कटाव की समस्या के निराकरण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल विकास निगम के माध्यम से देवरामपुर गेट के चौड़ाघाट के पास 25 स्पर तथा 24 रिटेनिंग वॉल के निर्माण का कार्य कराये जाने की अनुमति जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के कार्यालय आदेश 859/13–सी.आर.ए. (आ.प्र.प्राधि.) /2023–24, दिनाँक 12 जुलाई, 2023 के द्वारा निर्गत किया गया है। वन प्रभाग तराई पूर्व हल्द्वानी द्वारा गौला नदी में देवरामपुर चौराघाट के पास रिवर ट्रेनिंग का निर्माण कार्य कराया गया है। (आदेश एवम् कार्य के फोटोग्राफ्स संलग्न)।

(iii) सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी अन्तर्गत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम सभा किशनपुर रैक्वाल में कृषि भूमि एवम् आबादी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सूखी नदी में सुरक्षात्मक का कार्य कराया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के कार्यालय आदेश संख्या 734–1/13–सी.आर.ए.(आ.प्र.प्राधि.)/2023–24, दिनाँक 29 मार्च, 2023 निर्गत किया गया है (आदेश एवम् कार्य के फोटोग्राफ्स संलग्न)।

(iv) सिंचाई खण्ड, नैनीताल अन्तर्गत Flood Protection Work (Restoration and Renovation) Shipra River at Nagar Palika Bhowali कराया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के कार्यालय आदेश संख्या 735/ 13–सी.आर.ए.(आ.प्र.प्राधि.)/2023–24, दिनाँक 29 मार्च, 2023 निर्गत किया गया है (आदेश संलग्न)।

(v) दिनाँक 08 / 09 अगस्त, 2023 को हुई भीषण वर्षा के कारण हल्द्वानी / काठगोदाम स्थित रकसिया एवम् कलसिया नाले में यकायक जल प्रवाह तीव्र हो गया। जल प्रवाह के अत्यधिक तीव्र होने के कारण नालों के दोनों ओर भू–कटाव हो गया तथा भवन क्षतिग्रस्त हो गये। भवनों के अन्दर जल प्रवाह के साथ सिल्ट, मलवा, बोल्डर भर गये, जिनके निस्तारण का कार्य सिंचाई विभाग, हल्द्वानी एवम् नगर निगम, हल्द्वानी द्वारा पर्यावरणीय मानकों को पूर्ण करते हुए तकनीकी रूप से किया गया (फोटोग्राफ्स संलग्न)।

(vi) वन प्रभाग तराई पूर्व हल्द्वानी के अन्तर्गत परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी द्वारा नन्धौर नदी में 06 स्थानों पर तटबंध निर्माण कार्य दिनाँक 01–06–2023 से प्रारम्भ हो गया है (फोटोग्राफ्स संलग्न)।

(vii) लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल द्वारा सूखी नदी में ग्राम नकायल के समीप चैनेलाईजिंग का कार्य माह जुलाई, 2023 में कर लिया गया (फोटोग्राफ्स संलग्न)।

(viii) लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा सूखी नदी में सूर्यानाला के समीप चैनेलाईजिंग का कार्य माह जुलाई, 2023 में कर लिया गया (फोटोग्राफ्स संलग्न)।

(ix) राष्ट्रीय मार्ग रूद्रपुर–काठगोदाम (एन.एच.–09 नया) पर स्थित गौला पुल के एप्रोच मार्ग के उक्त आपदा / आपदा संभावत निवारण कार्यों को दिनाँक 14–07–2023 तक पूर्ण कराये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.ए.आई., रूद्रपुर के माध्यम से कराये गये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के आदेश संख्या 857 / 13–सी.आर.ए.(आ.प्र.प्राधि.) / 2023–24, दिनाँक 12 जुलाई, 2023 निर्गत किया गया है (आदेश संलग्न)।

उक्त के अतिरिक्त नन्धौर, गौला, दाबका, सूखी, कोसी आदि नदियों में विभागों के माध्यम से कराये जा रहे मलवा, सिल्ट, बोल्डर की सफाई एवम् चैनेलाईजेशन एवम् नदी / नालों से भूमि / बसावट का सुरक्षात्मक कार्य, जोकि निजी संस्था द्वारा न कराते हुए विभागों के माध्यम से कराये जा रहे हैं / जाने प्रस्तावित है, का विवरण निम्नवत् है :–

River bank Protection work Proposed/done in Nandhaur River

S.N.	Financial Year	Name of work	Amount (in Lakh)	Dept.
1-	2022-23	Removing Dubris, Bolders and River Channelizatiion	9.95	irrigation Division Haldwani
2-	2022-23	Wire Crate	5.00	irrigation Division Haldwani.
3-	2022-23	Wire Crate and River Channelizatiion	148.54	PeyJal Nirman Nigam Haldwani.
4-	2022-23	River Channelizatiion	8.00	irrigation Division Haldwani.
5-	2022-23	Wire Crate	5.00	irrigation Division Haldwani.
6-	2022-23	Wire Crate(Flood Protection work)	9.97	irrigation Division Haldwani
7-	2022-23	Wire Crate(Flood Protection work)	9.79	irrigation Division Haldwani
8-	2023-24	Wire Crate(Flood Protection work)	992.38	irrigation Division Haldwani

River bank Protection work Proposed/done in Gola River

S.N.	Financial Year	Name of work	Amount (in Lakh)	Dept.
1-	2022-23	River Channelizatiion and River training work	60.00	Forest Department.
2-	2022-23	Wire Crate and River Channelizatiion	10.00	PeyJal Nirman Nigam Haldwani.
3-	2022-23	Wire Crate and River Channelizatiion	40.00	PeyJal Nirman Nigam Haldwani.
4-	2022-23	Wire Crate and River Channelizatiion	209.00	PeyJal Nirman Nigam Haldwani.
5-	2023-24	Restoration and protection work	1348.999	Railway
6-	2023-24	Restoration and protection work	1390.559	Railway

River bank Protection work Proposed/done in Kosi River

S.N.	Financial Year	Name of work	Amount (in Lakh)	Dept.
1-	2022-23	CC block and wire crate	14.26	irrigation department
2-	2022-23	CC block and wire crate	10.00	irrigation department

3-	2022-23	CC block and wire crate	8.74	irrigation department
4-	2023-24	Protection work	263.07	irrigation department
5-	2023-24	Flood Protection work	354.53	irrigation department
6-	2023-24	Flood Protection work	422.06	irrigation department
7-	2023-24	Flood Protection work	923.49	irrigation department
8-	2023-24	River channelization	45.56	irrigation department
9-	2023-24	Flood Protection work	158.28	irrigation department

River bank Protection work Proposed/done in Dabka River

S.N.	Financial Year	Name of work	Amount (in Lakh)	Dept.
1-	2022-23	Wire Crate	4.00	irrigation department

जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा नदी/नालों में रिवर ड्रैजिंग, चैनलिंग, सिल्ट की सफाई, मलवे का निस्तारण इत्यादि कार्यों तथा उपकरणों का प्रयोग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कराये जाने हेतु पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाना उचित होगा, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड/लो.नि.वि., कृषि एवम् भूमि संरक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी, हल्द्वानी, जिला खनन अधिकारी/भू-वैज्ञानिक, नैनीताल एवम् उप प्रभागीय वनाधिकारी हो।

कृपया समिति की आख्या महोदया के संज्ञान एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(बी.सी. नैनवाल)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी

(ए. के. कटारिया)
अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
हल्द्वानी।

(प्रदीप कुमार)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर।

(ममता चन्द)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग

(डी. एस. चन्द)
भू-वैज्ञानिक,
भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई
नैनीताल।

(ताजबर नेगी)
खान अधिकारी
भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई
नैनीताल।

(ऋचा सिंह)
नगर मजिस्ट्रेट,
हल्द्वानी।

(प्ररितोष वर्मा)
उपजिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

(शिव चरण द्विवेदी)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
नैनीताल।